दीवानी वाद संख्या 13/2014
इन्द्रा बनाम भंवरी
दिनांक 16-1-2026

वकील पक्षकारान उपस्थित। आज अधिवक्ता वादी ने एक आवेदन अंतर्गत धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादिया की साक्ष्य के दौरान राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , पुष्कर की वादिया की इलाज की पर्ची दिनांक 27-4-23 की है जिसकी असल नहीं होने से प्रदर्श अंकित करने मे आपत्ति की गयी थी, उक्त दस्तावेज असल की कार्बन प्रति रही है जो सरकारी विभाग द्वारा जारी रही है जिसकी सत्यता संदिग्ध नहीं है। अंत मे आवेदन स्वीकार कर वादिया इन्द्रा की दिनांक 27-4-2023 की राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , पुष्कर को द्वितीयक साक्ष्य मे प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से उक्त आवेदन का लिखित जबाब तो प्रस्तुत नहीं किया गया लेकिनमौखिक विरोध किया गया।

उक्त आवेदन परसुना गयाएवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादिया द्वारा जिस दस्तावेज राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , पुष्कर की इलाज की पर्ची दिनांक 27-4-23 की द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति चाही है वह राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी मूल पर्ची की कार्बन प्रति रही है जिसकी सत्यता सदिंग्ध नहीं है। अतः वादिया की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 स्वीकार किया जाकर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र , पुष्कर की इलाज की पर्ची दिनांक 27-4-23 जो वादिया की रही है, के संबंध मे द्वितीयक साक्ष्य की अनुमति दी जाती है।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी जिरह हेतु दिनांक 23.01.26 को पेश हो।

16/01/26

विकास सिंह चौधरी
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या – 2, अजमेर